न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्री अन्जुम ताहिर सम्मा आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 7/13

अपीलान्टः–

1. चैलाराम पुत्र मोहनराम जाति नट निवासी हॉस्पीदल के पीछे भीलो की बास,रमणीया तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगणः–

1. सरपंच ग्राम पंचायत रमणिया तहसील
2. मृतक किशनाराम पुत्र अनोपाराम जाति नट निवासी सिवाना के कायम मुकामः–

2/1 डपटी बेवा किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/2 दल्लाराम पुत्र किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/3 मजीटाराम पुत्र किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/4 शान्ती पुत्री किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/5 सारकी पुत्री किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/6 सूरज पुत्री किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना
2/7 समदा पुत्री किशनाराम जाति नट निवासी सिवाना निवासीयान नट कॉलेनी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

3. रिडमल पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
4. सरदारा पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
5. जगाराम पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
6. भीमा पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
7. तुलसा पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
8. हरिया पुत्र सोडाराम जाति नट निवासी नट कॉलोनी करमावास तहसील समदडी जिला बाडमेर
9. जगमाल पुत्र मोहन जाति नट निवासी नट कॉलोनी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
10. माला पुत्र मोहन जाति नट निवासी नट कॉलोनी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
11. रमेश पुत्र मोहन जाति नट निवासी नट कॉलोनी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर
12. रायमल पुत्र मोहन जाति नट निवासी नट कॉलोनी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 20.09.2011 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 आर एल आर एक्ट 1956

उपस्थितः–

1. श्री नरपतसिंह अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है अपीलान्ट के हक हकुक कब्जा स्वामित्व की आवासीय भूमि आबादी ग्राम रमणीया में सरकारी अस्पताल के पीछे भीलो की बास में आई हुई है। जिसमें अपीलान्ट मय

परिवार विगत 32 सालो से रहवास कर रहा हैं तथा उक्त भूखण्ड रेकर्ड में यानि जमाबंदी गांव रमणीया में खसरा नम्बर 1554/346 करबा 10 बिस्वा गै.मु.बाडा अपीलान्ट के दादा अनोपाराम के नाम से दर्ज हैं तथा मौके पर उक्त बाडे के भूमि सगन आबादी के मध्य गांव रमणिया में स्थित है। उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के पडौस उत्तर में मगाराम पुत्र जवाराम जाति भील निवासी रमणीया,दक्षिण में मोमताराम पुत्र पीराराम जाति भील निवासी रमणीया,पूर्व में आम रास्ता व आगे सरकारी अस्पताल पश्चिम मे गली गुजर व आगे गुमनाराम भूताजी मेगवाल भूखण्ड का नाम उत्तरी भुजा 95 फीट,दक्षिणी भुजा 143 फीट, पूर्वी भूजा 176 फीट पश्चिमी भुजा 128 फीट है पडौस मध्य व नाप मध्य वर्णित भूखण्ड मय मकान अन्नय रूप से विगत 32 वर्षो से अधिक समय से अपीलान्ट के हक हकुक कब्जा स्वामित्व का विध्यमान है। उक्त भूखण्ड में एक कच्चा पडवा जिसके उपर केलुपोस की छत,पक्का कमरा व छपरा,पानी का बडा टाका,स्नानघर बने हुए है। जिसमे अपीलान्ट अपने परिवार के साथ रहवास करता है तथा अपीलान्ट ने मकान निर्माण हेतु पक्की ईट बजरी इत्यादि भी डलवाई हुई है। उक्त भूमि के चारो ओर काटो की बाड सुरक्षा हेतु की हुई है। उक्त भूखण्ड अपीलान्ट के दादा अनोपाराम के द्वारा आज से 32 वर्ष पूर्व अपीलान्ट को वसीयत कर दिया था,चूंकि अपीलान्ट ने अपीलान्ट के दादा अनोपाराम ने उनके जीवनकाल में अच्छी सेवा साकरी की थी,तथा अपीलान्ट अपने दादा अनोपाराम के साथ ही बाल्यवस्था से रहता था,क्योकि अपीलकर्ता की माता का देहान्त अपीलकर्ता के बाल्यवस्था में ही हो गया था,जिस कारण अपीलकर्ता के दादा अनोपाराम अपीलकर्ता का शुरू से अच्छा लाड प्यार करते थे तथा गांव रमणीया में अकेले अपीलकर्ता की अपीलकर्ता के दादा के साथ रहकर सेवा साकरी करता था अर्थात उपरोक्त वर्णित भूखण्ड अपीलान्ट को अपीलान्ट के दादा के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपीलकर्ता के हक में वसीयत किया गया था तब से अपीलकर्ता विधिक रूप से बतौर मालिक वर्तमान में रहवास कर रहा है। रेस्पोडन्ट जो कि अनोपाराम के जीवन काल में ही अलग हो गये थे,तथा गांव सिवाना,करमावास,समदडी जाकर रहवास करने लगे,कभी भी रमणीया में उक्त वाद ग्रस्त भूख्ण्ड पर रेस्पोडेन्ट का रहवास नही रहा न ही रेस्पोडेन्ट का वाद ग्रस्त भूखण्ड में कोई तालुक रहा एक मात्र अपीलकर्ता का ही उक्त वाद ग्रस्त भूखण्ड पर रहवास है। वादग्रस्त भूखण्ड पर अपीलकर्ता का पानी बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है। तथा भूखण्ड में अपीलकर्ता के तमिररात बने हुए है। लेकिन रेस्पोडेन्टगण अपीलकर्ता के रहवासी बेदखल करने हेतु दिनांक 24.09.2011 को आये व भूखण्ड को बेचान करने की धमकीया दी,जिस हेतु अपीलकर्ता ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व श्री सिविल न्यायालय क.ख. सिवाना मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया ,जो दिवानी वाद बअनवान

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

चैलाराम बनाम किशनाराम विचाराधीन है तथा माफिक कमीशनर रिपोर्ट अपीकर्ता का कब्जा हैं व स्थगन आदेश जारी कर रखा हैं,लेकिन ग्राम पंचायत रमणीया ने कानून हाथ में लेकर अवैध एवं अनुचित तरीके अख्यतार करते हुए हाल ही में उक्त वाद ग्रस्त भूखण्ड का नामान्तरकरण पूर्व की तिथि में यानि दिनांक 20.09.11 को न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूखण्ड का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 20.09.2011 पारित किया जो विधिक आधारो पर काबिल अपास्त निरस्त के है वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का रहवास है उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के दादा अनोपिया वल्द सतीया कौम नट को नाम से गै.मु.बाडा हेतु आवंटन हुई था उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के दादा अनोपिया वल्द सतीया ने वसीयत के जरिये अपीलान्ट को दे दी थी जिस पर आज पर अपीलान्ट सपरिवार निवास कर रहा है। उक्त भूखण्ड सरंपच गुमानाराम के पडौस में ही है, तथा सरपंच उक्त वाद ग्रस्त भूखण्ड को हडपना चाहता है जिस हेतु रेस्पोडेन्टगण जो करमावास,सिवाना व समदडी के स्थाई निवासी हैं, से दुराभीसंधी कर उनसे खरीदने का इकरार किया तथा रजिस्ट्री करवाने हेतु आमादा होने पर अपीलकर्ता ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा श्री सिविल न्यायालय क.ख.सिवाना में पेश किया जिस पर सिविल न्यायालय क.ख.सिवाना द्वारा मौका दिखवाया जाकर माफिक कमिश्नर रिपोर्ट मौके की यथास्थिति यथावत रखने का आदेश पारित किया गया, उक्त विधिक आदेश की प्रमाणित प्रति सम्बन्धित तहसीलदार सिवाना व हल्का पटवारी रमणीया को पेश कर दी गई थी पटवारी हल्का रमणीया व सरंपच ग्राम पंचायत रमणिया द्वारा अवैध व अनुचित अख्यतार करते हुए अन्य रेस्पोडेन्टगण से दुराभीसंधी कर अवैध कृत्य करते हुए उपरोक्त कानूनी आदेश की पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद भी हाल में ही पूर्व की तिथि में यानि बेक डेट में प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1302 दिनांक 20.09.2011 को पारित किया गया, जो अपीलान्ट न्यायालय के विधिक आदेश की खुल अवहेलना करते हुए अवैध तरीके से किया गया है,जो प्रथम दृष्टया काबिल कानूनी तौर से काबिल निरस्त के है। प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1302 दिनांक 20.09.2011 केवल रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया के द्वारा पारित किया गया है ग्राम सभा की आम सभा में पारित नहीं किया गया है, तथा आनन फानन मे अवैध एवं अनुचित तरीके से पारित किया गया हैं, उक्त स्थिति में प्रश्नगत नामान्तरकरण बिना क्षैत्राधिकार का होने से निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है क्योकि म्यूटेशन केवल ग्राम पंचायत आम सभा में पारित कर सकती है,अकेले सपरंच को ऐसा नामान्तरकरण सत्यापित करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अर्थात उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण का सत्यापन विधि विरूद्व व क्षैत्राधिकार विहीन होने से काबिल अपास्त है। विधि के तहत व्यथित पक्षकार को बिना सुने

खण्ड अधिकारी
वाना (बाड़मेर)

उक्त प्रश्नगत नामान्तकरण पारित किया गया है,जो नैसर्गिक विधि के सिद्वान्त (दूसरे पक्षकार को भी सुनो) का उल्लधन पारित किया गया है,मात्र इस आधार पर भी उक्त प्रश्नगत नामान्तरकण काबिल अपास्त निरस्त के है। नियम 141 की पालना से पहले उक्त प्रश्नगत म्यूटेशन भरा गया हैं,तथा म्युटेशन भरने से पहले वादग्रस्त आराजी का मौका तक रेस्पोडेन्ट सरपंच के द्वारा नहीं देखा गया यानि बिना मौका मुआयना किये प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत कर हल्का पटवारी तथा आर.आई व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया के द्वारा अनदेखा किया गया नामान्तरकरण संख्या 1302 में आर.आई मोकलसर द्वारा यह टिप्पणी लगाया था कि प्रार्थी बाहर रहते है सम्पूर्ण वारिसो की जांच कर फैसल करे किन्तु उक्त टिप्पणी के बार मे न तो जांच की गई तथा न ही इस बारे में कोई शपथ पत्र या बयान तक ही लिये गये अर्थात नामान्तरकरण पूर्णतया काननू एवं नियमों एवंत तथ्यों के विरूद्व जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया उक्त नामान्तरकरण हाल में ही भरा गया है अपीलकर्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी नकल हल्का पटवारी से प्राप्त की तब उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई। जिस पर दिनांक 25.03.2013 को नामान्तरकरण की नकल पटवारी से प्राप्त की,अर्थात उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट की पेश कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1554/346 रकबा 10 विस्वा किस्म गै.मु. बाडा सरहद मौजा रमणिया के बाबत प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1302 दिनांक 20.09.2011 को अपास्त फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट की दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री लाधाराम उपस्थित रेस्पोडेन्टगण 2/1 ता 2/7 व 3 ता 12 की ओर से वकील श्री देवेन्द्र रतनू ने अण्डरटेकिग ली ।

दिनांक 18.12.15 को रेस्पोडेन्टगण का जबाब नहीं देने से जबाब बन्द किया गया तथा दिनांक 03.02.17 को रेस्पोडेन्टगण व रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय की गई।

हमने प्रस्तुत अपील,संलग्न प्रस्तुत अभिलेख तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

खण्ड अधिकारी
...ाना (बाड़मेर)

प्रस्तुत अपील नान्तरणकरण संख्या 1302 की स्वीकृति तिथि 20.09.2011 को काफी समय अवधि के व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। म्याद के बिन्दू पर वकील अपीलांट ने बहस में अपील में व्यक्त तथ्यों को दोहराया कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.03.13 को हल्का पटवारी से राजस्व जमाबंदी व नामान्तरकरण की नकल लेने पर अपीलकर्ता को दिनांक 25.03.13 को खारिज नामान्तरकरण की प्रथम बार जानकारी हुई जिस पर अपीलकर्तागण

द्वारा नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील पेश की है। दिनांक 25.03.13 को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपील 30 दिन के अन्दर म्याद प्रस्तु है फिर भी रफाये हुज्जत देरी को शमन करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन का प्रस्तुत किया। इन सभी पर गौर कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उक्त वादग्रस्त भूखण्ड अपीलान्ट के दादा अनोपीया वल्द सतीया जाति नट को आवंटन द्वारा प्राप्त हुई थी जो जरिये वसीयत अपीलान्ट ने अपने दादा अनोपाराम से प्राप्त की थी। उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय सिविल क.ख. सिवाना में बअनवान चेलाराम बनाम किशनाराम विचाराधीन है जिसमे मौका कमीशनर के रिपोर्ट के आधार पर स्थगन आदेश चेलाराम के पक्ष में जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1302 दिनांक 20.09.2011 का अध्ययन किया गया पटवारी हल्का द्वारा अनोपीया का देहान्त लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है अतः शपथ पत्र उत्तराधिकारियों के आधार पर नामान्तकरण भरकर आर.आई मोकलसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त नामान्तरकरण पर आर आई द्वारा की गई थी प्रार्थी बाहर रहने से सम्पूर्ण वारिसो की जांच कर फैसल करावे टिप्पणी अंकित की गई है। जिसे बिना वारिसान की जांच किये सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया द्वारा बिना ग्राम सभा में पारित करवाये उक्त नामान्तरकरण पारित कर दिया जो कि जो विधि विरूद्व है। उक्त भूखण्ड सम्बन्धी वाद में माननीय न्यायालय सिविल क.ख. सिवाना द्वारा स्थगन आदेश के बारे में जानकारी होते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण का इन सभी कारणो से समर्थन करना न्यायोचित नहीं है तथा उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट की स्वीकार कर ग्राम रमणिया के नामान्तरकरण संख्या 1302 पर सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया के द्वारा स्वीकृत ओदश दिनांक 20.09.2011 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार सिवाना को प्रकरण रिमाण्ड किया किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को व सम्बन्धित पक्षों को सुनकर मौका मुआयना कर विधि एवं नियमानुसार नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश पारित करे।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश दिनांक 02.06.17 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अन्जुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना